

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No 20/98-2022 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula, 23.06.2022

Child Care Leave of Smt. Suman Kumari, PGT Chemistry, GGSSS Nigdhu, Karnal is hereby granted Child Care Leave from 02.07.2022 to 29.09.2022 (90 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. Ganesan
Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 28.6.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer Karnal w.r.t. their letter No E-2/22/4180 dated 13.06.2022 with the direction to attach the Service Profile of applicant with the case, in future.
2. Principal, GGSSS Nigdhu, Karnal.
3. Smt. Suman Kumari, PGT Chemistry, GGSSS Nigdhu, Karnal with the direction to send the case with full details (with employee id, school code) in future
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate


Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Order No 20/153-2022 PGT-IV (2)

Dated, Panchkula, 29-06-2022

Smt. Kavita Devi, PGT Physics, GSSS Nangal Kheri, Panipat, is hereby granted Child Care Leave w.e.f 11.07.2022 to 07.10.2022 (89 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J. Ganesan
Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 29/6/22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. District Education Officer, Panipat w.r.t E-2/22/400 dated 23.06.2022 with the direction to attach the service profile of applicant with the case, in future.
2. Principal, GSSS Nangal Kheri, Panipat.
3. Smt. Kavita Devi, PGT Physics, GSSS Nangal Kheri, Panipat with the direction to send the case with full details (ID No., School Code etc.) in future.
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.


Dy. Superintendent PGT-IV
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula 2



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 20/191-2021 PGT-II (8)

DATED, PANCHKULA 24.06.2022

Smt. Sonia, PGT Home Science, Govt. Girls Sr. Sec. School, Model Town (Panipat) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 04.07.2022 to 30.09.2022 (89 Days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

J.GANESAN, IAS
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

29.6.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Panipat** w.r.t. their letter No. E-2/22/330 dated 09.06.2022.
2. Principal/Headmaster concerned.
3. Official concerned.
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.

DY. SUPERINTENDENT PGT-II
FOR DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

E:\Singla Office\Sanction\CCL Sanction 2022.docx

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate of Secondary Education

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Bhawan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा भवन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 22/22-2021 HRME-1 (3)

Dated, Panchkula: 24.06.2022

Sh. Sunil Kumar [093254], Clerk, GSSS Katesara [2753] Rohtak was deputed vide this office order No. 22/22-2021 HRME-I (3) dated 06.07.2021 in the office Director General Swarna Jayanti Haryana, Institute for Fiscal Management, Yojana Bhawan, Bays No. 21-28, Sector 4, Panchkula against vacant post of Assistant.

Now, the order of deputation is hereby extended from 15.06.2022 to 14.06.2024 as per provision of Rule, 137 Haryana Civil Services (General) Rules, 2016.

J. Ganeshan, IAS
Director General Secondary Education
Haryana Panchkula

Endst No. Even

Dated, Panchkula the: 29/6/22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Director General Swarna Jayanti Haryana, Institute for Fiscal Management, Yojana Bhawan, Bays No. 21-28, Sector-4, Panchkula vide their letter No. SJHIFM/2022/465 dated 18.05.2022.
2. District Education Officer, Rohtak.
3. Principal, GSSS Katesara (Rohtak).
4. Sh. Sunil [093254], Clerk, GSSS Katesara (Rohtak) now deputed in Director General Swarna Jayanti Haryana, Institute for Fiscal Management, Yojana Bhawan, Bays No. 21-28, Sector-4, Panchkula against post of Assistant.
5. ✓ /DGSE.
6. ✓ Cell
7. Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal Please.

Sh. Ganeshan
Deputy Superintendent HRME-I
For Director General Secondary Education
Haryana Panchkula

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

No. 7/61-2021 PGT-II(5)

Dated, Chandigarh, 22.06.2022

As per provision contained in Haryana Government Finance Department Notification No. 1/20/2016(ACP)-5 PR (FD) dated 28.10.2016, Smt. Kela Pati, PGT History (Retd.), Govt. Sr. Sec. School, Narwana (Jind) is hereby granted 2nd ACP as PGT History in ACPL-13 w.e.f. 01.10.2019 under rule 7(2) of Haryana Civil Services (ACP) rules, 2016 after completion of 16 years regular satisfactory service.

**Rakesh Sandhu, HCS
Deputy Secretary to Government Haryana
School Education Department
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 29.06.2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, **Jind** w.r.t. their Memo No E-2/2022/523 dated 07.02.2022 alongwith **service book and personal file** of Smt. Kela Pati, PGT History (Retd.), Govt. Sr. Sec. School, Narwana (Jind). It is hereby directed that pay of the official be fixed as per rules and release consequential benefits within a week under intimation to this office, failing which your office shall be responsible for the consequences.
3. Treasury Officer concerned.
4. Principal, Govt. Senior Secondary School, Narwana (Jind).
5. Smt. Kela Pati, PGT History (Retd.), Govt. Sr. Sec. School, Narwana (Jind).
- ✓ 6. I.T. Cell (Local).

DA/As above.

Rakesh
**Dy. Superintendent PGT-II
for Director General, Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER NO. 20/47-2018 PGT-II (7)

DATED, PANCHKULA 30.05.2022

Consequent upon issuing sanction of child care leave to **Smt. Suman, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Shikarpur (Hisar)** from 25.08.2021 to 24.11.2021 vide order No. 20/47-2018 PGT-II (7) dated 24.08.2021, she has further requested to cancel her child care leave for the period 18.10.2021 to 24.11.2021 (38 Days). Accordingly, the child care leave for the period 18.10.2021 to 24.11.2021 (38 Days) is hereby cancelled.


**J.GANESAN, IAS.
DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 29.6.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Hisar w.r.t. their office memo. No. E-6/2022/8004 dated 10.02.2021.
2. Principal, Govt. Sr. Sec. School, Shikarpur (Hisar).
3. Smt. Suman, PGT Economics, Govt. Sr. Sec. School, Shikarpur (Hisar).
4. IT Cell (Local) for uploading the orders on office website.


**Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER NO. 20/80-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 29.06.2022


Smt. Rajbir Kaur, PGT Punjabi, Government Model Sanskriti Sr. Sec. School, Mandi Dabwali [2816], District Sirsa is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 02.07.2022 to 28.12.2022 (180 days) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. GANESAN, I.A.S.
DIRECTOR GENERAL, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. 20/80-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 29.06.2022

A copy of the same is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Sirsa w.r.t. their Memo No. E-1-2022/4661 dated 22.06.2022.
2. The Principal, Government Model Sanskriti Sr. Sec. School, Mandi Dabwali [2816], District Sirsa.
3. Official concerned.
4. I.T Cell.


**DY. SUPERINTENDENT, PGT-II
O/O DIRECTOR GENERAL, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ORDER NO. 20/68-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 29.06.2022


Smt. Sudesh Devi, PGT Economics, Government Sr. Sec. School,
Pali, District Hisar is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 04.07.2022 to
01.10.2022 (3 months) as per Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

**J. GANESAN, I.A.S.
DIRECTOR GENERAL, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. 20/68-2022 PGT-II(8) DATED, PANCHKULA THE 29/06/2022

A copy of the same is forwarded to the following for information and
necessary action:-

1. District Education Officer, Hisar w.r.t. his/her Memo No. E-VI-22/8308
dated 03.06.2022.
2. The Principal, Government Sr. Sec. School, Pali, District Hisar.
3. Official concerned.
4. ✓ I.T Cell.



**DY. SUPERINTENDENT, PGT-II
O/O DIRECTOR GENERAL, SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal, GSSS Bhongra [1699] Jind

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 28-06-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23
(Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bhongra [1699]	Construction of prayer shed कुल राशि	1982000.00 1982000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Santosh Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द।
- 5 जिला खजाना अधिकारी जीन्द।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द से अनुरोध है कि को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sanjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS Bhainswan Khurd [3580] Sonapat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 28-06-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/अलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23
(Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bhainswan Khurd [3580]	Const. of kitchen shed कुल राशि	730000.00 730000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी० एण्ड सी० दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए०एण्ड०ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत से अनुरोध है कि को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई०टी० सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS Kohli [1245] Hisar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 28-06-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Kohli [1245]	Const. of Additional 3 class rooms कुल राशि	1992000.00 1992000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-


- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, हिसार।
- 5 जिला खजाना अधिकारी हिसार।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार से अनुरोध है कि को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS Dhand [3363], Fatehabad
Principal GSSS Kirdhan [3429] Fatehabad
Principal GSSS Badopal [3264] Fatehabad
Principal GGSSS Bhodia Khera [3355], Fatehabad

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)
दिनांक पंचकूला 21-06-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dhand [3363]	Const. of Shed with IPB	1960000.00
2 GSSS Kirdhan [3429]	Const. of Shed with IPB	1940000.00
3 GSSS Badopal [3264]	Const. of Shed with IPB	1985000.00
4 GGSSS Bhodia Khera [3355]	Const. of Shed with IPB	1985000.00
	कुल राशि	7870000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, फतेहाबाद।
- 5 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


Sandeep Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS Kanwla [86], Ambala

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 21-06-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kanwla [86]	Development of play ground कुल राशि	437000.00 437000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sunjeev Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त, अम्बाला।
- 5 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

7/30/2022
Audhally.

Sankar Kumar
उप अधीक्षक निर्माण
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentSchool Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंच कुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फ़ैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Regd.

To

**The District Education Officer
Panipat.**

Memo No. 20/191-2021 PGT-II (8)
Dated, Panchkula the

Sub:- Permission for going abroad- Smt. Sonia, PGT Home Science, Govt. Girls Sr. Sec. School, Model Town (Panipat).

Please refer to your office Memo. No. E-2/22/327 dated 09.06.2022 on the subject cited above.

Permission of the Government is hereby accorded to **Smt. Sonia, PGT Home Science, Govt. Girls Sr. Sec. School, Model Town (Panipat)** for visiting **Australia to meet her relatives** from **07.07.2022 to 10.08.2022 (35 Days)** on the following conditions:-

1. That she will go abroad after got leave sanctioned.
2. That she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that she will not join any Govt. or Non Govt. job in abroad.
4. That there will be no financial burden on the State exchequer.
5. That she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be affected in anyway due to her going to abroad.

— 59 —
**Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education
Haryana Panchkula**

Endst No. Even

Dated Panchkula the 29.6.2022

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Model Town (Panipat).
2. Smt. Sonia, PGT Home Science, Govt. Girls Sr. Sec. School, Model Town (Panipat).
- ✓ 3. IT Cell.


Dy. Superintendent PGT-II
for Director General Secondary Education
Haryana Panchkula





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate General School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Regd/E.mail

To

District Education Officer,
 Sonapat.

Memo No. 12/3-2022 HRG-I (3)
 Dated, Panchkula, the 28/6/22

Subject: Permission to go abroad – Smt. Santosh, Principal, Govt. Sr. Sec. School, Rajpur (Sonapat).

Kindly refer to your letter No. E-7/2022/3974 dated 20.05.2022 on the subject cited above.

The permission is hereby accorded **Smt. Santosh, Principal, Govt. Sr. Sec. School, Rajpur (Sonapat)** from **10.06.2022 to 28.06.2022** to visit **Australia** to meet her son on the following conditions:-

1. That he/she will obtain prior permission from competent authority after got leave sanctioned.
2. That he/she will hand over the charge before going abroad.
3. That this permission is subject to condition that he/she will not join any Govt. or Non Govt. Job in abroad.
4. That there will no financial burdens on the State exchequer.
5. That he/she will not extend leave from abroad in any circumstances.
6. That he/she will abide by all the rules and will be faith full to the Constitution of India.
7. That security record of the Government will not be effected in anyway due to his going to abroad.

sd/-
Superintendent HRG-I
For Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 28/6/22

A copy is forwarded to following for information and necessary action:-

1. **Smt. Santosh, Principal, Govt. Sr. Sec. School, Rajpur (Sonapat).**
2. **IT Cell (Local).**

Hedler
Superintendent HRG-I
For Director General Secondary Education,
Haryana, Panchkula